49 (6) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड का गठन/कामकाज (–)"सरकार एवं लोक उद्यम (–) उच्च प्रबंधन एवं बोर्ड" के बारे में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक शासन सुधार आयोग (ई.ए.आर.सी.) ने सरकार एवं लोक उद्यम से उच्च प्रबंधक वर्ग एवं बोर्ड विषयक अपनी रिपोर्ट में लोक उद्यमों के गठन एवं कार्य के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा इन पर विचार किया गया है। इन सिफारिशों और सरकार के इन सिफारिशों पर निर्णयों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों की सूचना एवं उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे दिया गया है:–

(i) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति

यह देखने में आया है कि कुछ मामलों में सेवा निवृत्त होने वाले मुख्य कार्यपालक के स्थान पर एवजी संबंधी मांग काफी बाद में की जाती है जिससे अकसर कई उद्यमों में ऐसे शीर्ष पद काफी दिन तक रिक्त पड़े रहते हैं। इस संदर्भ में ई.ए.आर.सी. ने यह सिफारिश की है कि सेवानिवृत्त होने वाले मुख्यकार्यपालक के स्थान पर एवजी मांग पहले ही कर ली जाए और स्थानापन्न के रूप में भर्ती कर ली जाए और यदि किसी कारणवश उसके बाद कोई अधिकारी ऐसी स्थिति में नहीं है तो मौजूदा पदधारी के कार्यकाल को स्वतः ही बढ़ा दिया जाए जब तक कि उसके बाद का अधिकारी उसका कार्यभार ग्रहण करने के योग्य न हो जाए। अब सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो लोक उद्यम तीन महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त स्थानापन्न पद सृजित करें तथापि, मौजूदा पदधारी के कार्यकाल को स्वतः बढ़ाना वांछनीय नहीं होता और अल्पावधि सिर्फ ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ाई जाए जहां नए पदधारी के चयन में विलंब हो। इसलिए अनुरोध है कि जो रिक्तियां अधिवर्षिता के परिणाम स्वरूप या मौजूदा पदधारी का कार्यकाल न बढ़ाए जाने के कारण होती है उनके बारे में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कम से कम तीन महीने पहले लोक उद्यम बोर्ड को सूचित किया जाए। इससे लोक उद्यम चयन बोर्ड रिक्ति होने से पहले ही उत्तरवर्ती अधिकारी की भर्ती की कार्रवाई काफी समय पहले आरंभ कर देगा।

(ii) अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

लो.उ.ब्यू. के 13 अक्तूबर, 1972 के का.ज्ञा. संख्या 2(158)/70 लो.उ.ब्यू. (म.प्र.) के तहत लोक उद्यम निदेशक बोर्ड के गठन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड की अध्यक्षता सामान्यतः अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जाए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी खास मामले में ऐसा करना वांछनीय हो तो अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इन दिशानिर्देशों को लो.उ. के 20 अप्रैल, 1982 के का.ज्ञा. सं. 2(9)80 लो.उ.ब्यूरो (म.प्र.) के तहत पुनः 1982 में दोहराया गया। ई.ए.आर.सी. ने यह भी सिफारिश की है कि एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने की सामान्य नीति ही जारी रखी जाए। इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को लोक उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को यहां तक कि अल्पावधि के लिए भी परंपरा को समाप्त किया जाए।

(iii) लोक उद्यमों के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की भूमिका

ई.ए.आर.सी. का दृष्टिकोण है कि लोक उद्यम बोर्ड में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि वह सरकार और लोक उद्यमों के बीच संपर्क और संप्रेषण माध्यम की भूमिका निभाते हैं इन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि कंपनी के निदेशक के रूप में और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी निदेशक की दोहरी भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। मंत्रालय द्वारा बोर्ड की बैठक के समक्ष औपचारिक विवरण प्रस्तुत किए बिना उसे निर्बाध रूप से कार्य करने और इस संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए कि विवरण प्रस्तुत किया जाए या रिपोर्ट तैयार की जाए। सरकारी निदेशक का उद्यम के उद्देश्य और लक्ष्यों का पता करना चाहिए, समान मामलों पर सामूहिक सोच का विकास करना चाहिए और वरिष्ठता के कारण अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए। बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों में उसे अपने पद की प्रतिष्ठा तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। तथापि, बोर्ड के अन्य सदस्यों को उससे उन मामलों के संबंध में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिन्हें सरकार के पास भेजे जाने की आवश्यकता हो। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी प्रस्तावों की बाद में जांच के मामले में उसकी भूमिका मुख्य रूप से व्याख्यात्मक होनी चाहिए; और उसे किसी निर्णय को

बोर्ड पर थोपना नहीं चाहिए। अनुमोदन, मंजूरी आदि के लिए मंत्रालय के पत्र बोर्ड के सरकारी प्रतिनिधि के नाम संबोधित किए जाएं, जिसका यह दायित्व होगा कि वह मामले पर कार्रवाई करे और यथा शीघ्र आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त करे।

सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है और प्रशासनिक मंत्रालय कृपया उपयुक्त रूप से अपने उपक्रमों के बोर्ड के सरकारी निदेशकों को इसका विवरण प्रदान करें।

(iv) निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशकों की संख्या

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम ब्यूरो ने अपने 3 फरवरी, 1975 के का.ज्ञा. सं. 5/23/74 लो.उ. ब्यूरो (पी.ई.एस.वी.) में यह सुझाव दिया है कि लोक उद्यमों में निदेशक बोर्ड में सामान्यतः दो से अधिक सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ई.ए.आर.सी. ने सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ई.ए.आर.सी. ने सरकारी उद्यम के बोर्ड में सरकारी अधिकारियों की संख्या कम करने पर भी बल दिया है। इन्होंने सिफारिश की है कि विशेष मामलों अथवा हितों से जुड़े निदेशक पद की संख्या भी कम से कम होनी चाहिए। और गैर–सरकारी स्रोतों से उपयुक्त व्यक्तियों को लेने की संभावना पर विचार किया जाए। तथापि यह दूसरे लोक उद्यमों से लिए गए विशेषज्ञों पर लागू नहीं होता, जिसकी पुरजोर सिफारिश की गई है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। प्रशासनिक मंत्रालय कृपया इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट करें।

सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालयों के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ई.ए.आर.सी. ने यह भी सिफारिश की है कि लोक उद्यम के बोर्ड में एक से अधिक निदेशक पद के लिए किसी एक ही अधिकारी को नहीं रखना चाहिए ताकि सरकारी निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति वह यथेष्ट न्याय कर सके। छोटे उद्यमों के निदेशक बोर्ड में निदेशक/उप सचिवों की नियुक्ति करके प्रत्येक संयुक्त सचिव द्वारा निदेशक पद धारण करने की परंपरा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोक उद्यमों वाले मंत्रालय अवर सचिव और संभवतः उप सचिव स्तरों की संख्या कम करने और दक्षता एवं किफायत की दृष्टि से एक अपर संयुक्त सचिव अथवा दो अपर संयुक्त सचिव की व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं।

सरकार ने इस सिफारिश को नोट कर लिया है और उसकी यह राय है कि निदेशक पद की संख्या कम करने और छोटे लोक उद्यम बोर्ड में निदेशक के कार्य को समान रूप से वितरित करने की प्रक्रिया का पहले से ही पालन किया जा रहा है। तथापि, प्रशासनिक मंत्रालय ई.ए.आर.सी. के सुझाव के अनुसार उनके पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं।

(v) बोर्ड एवं सरकार के बीच निर्णय लेने की शक्ति का स्पष्ट निर्धारण

इ.ए.आर.सी. ने यह सिफारिश की है कि बोर्ड एवं सरकार के लिए आरक्षित निर्णय लेने की शक्तियों के संबंध में स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया है कि कागजों और कंपनी के अन्तर्नियमों में तो इस प्रकार की स्पष्टता काफी मामलों में विद्यमान है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निदेशों की अनौपचारिक सूचना लोक उद्यमों को दी जाती है। परिणामस्वरूप बोर्ड के सरकारी निदेशक भी मंत्रालय द्वारा अनौपचारिक नियंत्रण के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अथवा माने जाते हैं। चूंकि इन उद्यमों की कार्यात्मक स्वायत्तता उनके अच्छे कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है इसलिए उन क्षेत्रों के बारे में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जिनके बारे में बोर्ड निर्णय ले सकता है और जिनमें सरकार का पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करें।

2. कृपया, सरकार के उपर्युक्त निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में लोक उद्यम ब्यूरो को सूचित करें।

(लो.उ. ब्यूरो का 19 सितंबर, 1984 का का.ज्ञा. संख्या 18/1/84–जी.एम.)